



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक/वाई०ई०ए०/नियोजन/ 662 /2024

दिनांक- 18-09-2024

सेवा में,

M/s Starcity Infradevelopers Pvt. Ltd.
41 First Floor, Friends Colony (East)
New Delhi-110065

महोदय

कृपया आवेदन दिनांक-25.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या पी-03 एवं पी-4 टी.एस.-2ए सैक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड पर पर्यावरण मंत्रालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित कथन के अनुसार संस्था को मानचित्र जारी होने की तिथि से 06 माह के भीतर पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. भूखण्ड पर आवेदक द्वारा स्वीमिंग पुल प्रस्तावित किया गया है। भूखण्ड पर स्वीमिंग पुल के निर्माण से पूर्व जिला कीड़ा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. संस्था मैसर्स ए.टी.एस. रियल्टी प्रा०लि० द्वारा भूखण्ड संख्या टी०एस०-02ए सैक्टर-22डी का पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक-22.12.2023 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अनुमोदन के उपरान्त संस्था मैसर्स M/s Starcity Developers Pvt. Ltd. द्वारा अनुमोदित मानचित्र की प्रति एवं एफ.ए.आर. के सम्बन्ध में विवरण 06 माह के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. संस्था द्वारा उक्त भूखण्ड पर सर्विसेस के सम्बन्ध में परियोजना विभाग एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भवन पर अधिभोग प्रमाण पत्र से पूर्व लेबर सेस के मद में समस्त धनराशि श्रम विभाग में जमा कराते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जायेगा।
7. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
8. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
9. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
10. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
11. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य की भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।

12. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
 13. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
 14. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
 15. प्राधिकरण की सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे।
 16. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
 17. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
 18. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
 19. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 20. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 21. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 22. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
 23. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
 24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
 25. एन0जी0टी एवं ई0पी0सी0ए0 निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।
- संलग्नक- स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।

भवदीय,
18.09.2014
प्रभारी महाप्रबन्धक-नियोजन

प्रतिलिपि-

1. महाप्रबन्धक-परियोजना को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक-सम्पत्ति को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी महाप्रबन्धक-नियोजन